न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट डीग(भरतपुर)

मि.न. 170 / 2012, व इजलास हेमन्त कुमार (R.A.S)

उनवान

1. जाकर
2. भुट्टर
3. फकरू
4. सैकुल

} पि0 चावला जातियान मेव नि0 ग्राम रूंधखोह तहसील डीग (भरतपुर) राज0

—वादीगण

बनाम

1. जोहरू पुत्र हिम्मत जाति मेव निवासी ग्राम कल्याणपुर तहसील डीग(भरतपुर)राज0
2. तहसीलदार, तहसील डीग (भरतपुर) प्रतिनिधि राज0 सरकार।

उपखण्ड अधिकारी डीग (भरतपुर)

—प्रतिवादीगण

दावा उद्‌घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,89 व 188 राज0 टि0 एक्ट,

निर्णय दिनांक: 17.01.2022

वादीगण द्वारा यह दावा इस आशय के साथ पेश किया है कि आ.ख.नम्बरान 111 / 0.22, 112 / 0.16 वाके ग्राम रूंधखोह तहसील डीग में स्थित है। बन्दोवस्त हाल में साविक ख0 न0 173 / 1—10 मिन के बदले में 112 / 0.16 व साविक ख0 न0 173 / 0—13 मिन के बदले में नवीन ख0 न0 111 / 0.22 बनाये गये है। साविक ख0 न0 173 मिन रकबा 1 बीघा 10 विस्वा वाके ग्राम रूंधखोह तहसील डीग को वादीगण के पिता मृतक चावला ने दिनांक 21.05.1982 को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा सहीदा पुत्र चुट्टी जाति मेव निवासी कल्याणपुर तहसील डीग से क्रय किया था और क्रय करने के बाद से ही वादीगण के पिता चावला पुत्र मल्हू जाति मेव निवासी ग्राम रूंधखोह तहसील डीग बतौर खातेदार काश्तकार काबिल चले आ रहे थे। वादीगण के पिता चावला पुत्र मल्हू की कुछ अरसा पूर्व मृत्यु हो गई और पिता की मृत्यु के बाद से वादीगण तथा वादीगण की माता मुस0 छुटनी तथा वादीगण की बहिन मुस0जुम्मी बतौर वारिस वहैसियत खातेदार काश्तकार वाहिस्सा बराबर काबिज काश्त हुए। वादीगण की माता मुस0 छुटनी व बहिन जुम्मी ने अपने हिस्से की आराजी का एक हकत्याग जरिये रजिस्टर्ड रिलीजडीड सन 2010 में वादीगण के पक्ष में कर दिया जिसके बाद से वादीगण उक्त आराजी साबिक आराजी ख0न0 173 मिन रकबा 1 बीघा 10 विस्वा पर वाहिस्सा बराबर बतौर खातेदार काश्तकार काबिज चले आ रहे है तथा मौके पर भी है तथा साविक ख0न0 173 मिन रकबा 13 विस्वा प्रति0सं0 1 के पिता मृतक हिम्मत के कब्जे काश्त

उपखण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर)

खातेदार की आराजी थी जिस पर पिता की मृत्यु के बाद से प्रति0 सं0 1 काबिज है। हाल बन्दोवस्त में साविक ख0न0 173 मिन रकबा 1 बीघा 10 विस्वा के बदले में नवीन आराजी ख0न0 112/0.16 बनाया गया है। जिस पर मुताबिक साविक वादीगण का वाहिस्सा बरावर बतौर खातेदार काश्तकार कब्जा चला आ रहा है। आ0 ख0 नम्बर 112/0.16 वाके ग्राम रूंधखोह तहसील डीग पर वादीगण का ही बतौर खातेदार काश्तकार कब्जा वादीगण का ही है। साविक आराजी खसरा नम्बर 173 मिन रकबा 1 बीघा 10 विस्वा कब्जे काश्त व खातेदारी वादीगण की नवीन पैमाईश में आराजी 24 ऐयर होती है लेकिन गलत तरीके पर खिलाफ मौका व खिलाफ कानून व साविक रिकार्ड के विरूद्व वादीगण के नवीन आराजी ख0नम्बर 112 को केवल 16 ऐयर भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकित किया है। जबकि मुताविक कानून वादीगण के नवीन आराजी ख0नम्बर 112 को रकबा 24 ऐयर का अंकित किया जाना चाहिए था और इस प्रकार वादीगण के नाम रकबा 8 ऐयर नवीन खसरा नम्बर 112 में कम अंकित किया गया है। अतः निवेदन है कि दावा वादीगण आ0 ख0 न0 111/0.22 वाके ग्राम रूंधखोह तहसील डीग के रकबा हिस्सा 8/22 के खातेदार काश्तकार है। राजस्व रिकार्ड में जो इन्द्राज काश्त वहक प्रति0 सं0 1 जो अंकित किया जा रहा है वह गलत व खिलाफ मौका व कानून है तथा कलमजन किये जाने योग्य है। प्रति0 सं0 1 को जरिये डिक्री स्थाई निषेधाज्ञा पावंद फरमाया जावे कि विवादित आराजी के कब्जे काश्त वादीगण में किसी प्रकार से मजाहमत व मदाखलत नहीं करें तथा रहन वय मुन्तकिल नहीं करें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 28.04.2014 को प्रति0 संख्या 01 व 02 बाबजूद सूचना/तामील के उपस्थित अदालत नहीं आने पर उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दिनांक 17.03.2016 को वादीगण ने साक्ष्यवादी में शपथ पत्र पेश कर बयान दर्ज कराये गये। दिनांक 28.04.2016 को शेष साक्ष्यवादी में बयान गवाह फजरू व आसीन के पीडब्ल्यू–2 व पीडब्ल्यू–3 दर्ज कराकर अपनी साक्ष्य पूर्ण की गई।

प्रतिवादीगण की ओर से कोई भी उपस्थित अदालत नहीं आये। वकील वादीगण की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादीगण ने अपने दावे में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि प्रति0 सं0 01 के आ.ख.नम्बर 111/0.22 ऐयर में से 8 ऐयर पर रिकार्ड व मौके अनुसार वादीगण को वाहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर)

पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड व तथ्यों का गहनतापूर्वक अध्ययन किये जाने एवं वकील वादीगण की बहस पर मनन किया गया। वकील वादीगण ने अपने दावे हेतु सभी तथ्यों व रिकार्ड पर विवेचना पेश की गई। पत्रावली पर उपलब्ध/प्रस्तुत जमाबन्दी सम्बत 2065 लगायत 2068 तथा मिलान क्षेत्रफल के अवलोकन करने से हम वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राज0 टि0 एक्ट, को वादीगण के हक में डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि :–

वादीगण का दावा उपलब्ध साक्ष्य से सावित होने पर स्वीकार किया जाता है। आ0 ख0 नम्बर **111/0.22 में से 8/22 ऐयर पर वादीगण सं0 01 लगायत 04 को वाहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है** तथा शेष रकबा पर सम्बन्धित पक्षकार हिस्सानुसार वाहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार यथावत रहेंगे। प्रति0 सं0 01 को जरिये डिक्री स्थाई निषेधाज्ञा पावंद किया जाता है कि विवादित आराजी के कब्जे काश्त वादीगण में किसी प्रकार से मजाहमत व मदाखलत नहीं करें तथा रहन वय मुन्तकिल नहीं करें। वर्णित आराजी में रहन के इन्द्राजात यथावत रहेंगे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(हेमन्त कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग(भरतपुर)

निर्णय आज दिनांक 17.01.2022 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हेमन्त कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग(भरतपुर)

अन्तिम– डिक्री
(ऑर्डर 20 नियम–7, जाप्ता दीवानी)
(Civil procedure code, Appendix 'D'-1)

अज अदालतः– उपखण्ड अधिकारी, डीग (भरतपुर) व इजलास :– **हेमन्त कुमार**
(आर0ए0एस0)

मुकदमा नं0 170/2012,

1. जाकर
2. भुट्टर
3. फकरू
4. सैकुल

} पि0 चावला जातियान मेव नि0 ग्राम रूंधखोह तहसील डीग (भरतपुर) राज0

–वादीगण

बनाम

1. जोहरू पुत्र हिम्मत जाति मेव निवासी ग्राम कल्याणपुर तहसील डीग(भरतपुर)राज0
2. तहसीलदार, तहसील डीग (भरतपुर) प्रतिनिधि राज0 सरकार।

–प्रति0

दावा उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,89 व 188 राज0 टि0 एक्ट,

अतः **वादीगण** का दावा उपलब्ध साक्ष्य से सावित होने पर स्वीकार किया जाता है। आ0 ख0 नम्बर **111/0.22 में से 8/22 ऐयर पर वादीगण सं0 01 लगायत 04 को वाहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है** तथा शेष रकबा पर सम्बन्धित पक्षकार हिस्सानुसार वाहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार यथावत रहेंगे। प्रति0 सं0 01 को जरिये डिक्री स्थाई निषेधाज्ञा पावंद किया जाता है कि विवादित आराजी के कब्जे काश्त वादीगण में किसी प्रकार से मजाहमत व मदाखलत नहीं करें तथा रहन वय मुन्तकिल नहीं करें। वर्णित आराजी में रहन के इन्द्राजात यथावत रहेंगे।

निर्णय/पर्चा डिक्री आज दिनांक 17.01.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

31/01/2022

(हेमन्त कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर) (राज0)